

**प्राधान्य तहसीलदार कोटपुतली जयपुर(राज.)**

पीठाधीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक 31.12.19

सरकार बंगाम हवासिंह

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । और सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का विमानपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में बाक ग्राम कायमपुराबास तहसील कोटपुतली के ख0 न0 7048/0.50 है0 किस्म गै0मू0 सिवायक भूमि भूसं कमशः 0.20 है पर हवासिंह पुत्र मखन लाल जाति भीण निवासी कायमपुराबास तहसील कोटपुतली ने गैहूँ की फसल कास्त कर नाजायज रूप से अधिकमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर और सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद लामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनानामान और सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश नहीं किया । पत्रावली में संलग्न दरस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर और किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है ।

अतः औरसायल हवासिंह पुत्र मखनलाल जाति भीण निवासी कायमपुराबास तहसील कोटपुतली द्वारा बाक ग्राम कायमपुराबास तहसील कोटपुतली के ख0 न0 7048/0.50 है0 किस्म गै0मू0 सिवायक भूमि भूसं कमशः 0.20 है0 भूमि पर अधिकमणी घोषित किया जाता है तथा और सायल को उक्त आराजीयात पर बोर्डे गैहूँ की फसल को निराम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अधिकमण करने के आरप में लगान राशी 6.40 रु. का पचास गुणा 320 रु अर्था दण्ड के रूप में जुमाना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्त फसल निरामी अस्तौष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः औरसायल हवासिंह पुत्र मखनलाल जाति भीण निवासी कायमपुराबास तहसील कोटपुतली द्वारा बाक ग्राम कायमपुराबास तहसील कोटपुतली के ख0 न0 7048/0.50 है0 किस्म गै0मू0 सिवायक भूमि भूसं कमशः 0.20 है0 भूमि पर अधिकमणी घोषित किया जाता है तथा और सायल को उक्त आराजीयात पर बोर्डे गैहूँ की फसल को निराम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अधिकमण करने के आरप में लगान राशी 6.40 रु. का पचास गुणा 320 रु अर्था दण्ड के रूप में जुमाना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्त फसल निरामी

बेदखली आदेश जारी हो तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार  
कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।  
निर्णय आज दिनांक 31.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।